राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः–F.6()खा.वि./कम्प्यूटर/PoS-Part-1/2018-19 जयपुर, दिनांकः18/03/2020

आदेश

कोरोना वायरस बीमारी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की NFSA योजना में पोस मशीन से राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था बायोमैट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से करने हेतु परिवर्तित व्यवस्था निम्न प्रकार से रहेगीः–

(1) सर्वप्रथम डीलर द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड नंबर पोस मशीन पर प्रविष्ट किया जायेगा। इसके बाद लाभार्थी के भामाशाह/जनआधार/आधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जायेगा।

(2) लाभार्थी द्वारा डीलर को ओटीपी उपलब्ध करवाने के पश्चात पोस मशीन में ओटीपी नंबर दर्ज कर सत्यापन उपरान्त राशन डीलर द्वारा राशन का वितरण लाभार्थी को पोस मशीन से कर दिया जायेगा।

(3) यदि लाभार्थी डीलर को तय समय सीमा में ओटीपी उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपलब्ध करवाये गये निम्न कारणों में से किसी एक कारण को चुनते हुए राशन का वितरण पोस मशीन से किया जायेगा तथा ऐसे सभी ट्रांजेक्शन की प्रविष्टी कारणसहित एक रजिस्टर में की जायेगी।

(I) ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ।
(II) मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हैं
(III) लाभार्थी के पास मोबाइल नहीं हैं।

(4) वर्तमान में चल रही ऑफलाइन उचित मूल्य दुकानों के अलावा राशन वितरण के समस्त ट्रांजेक्शन पोस मशीन द्वारा ही किये जायेगें।

उपरोक्त परिवर्तित व्यवस्था तुरंत प्रभाव से 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेगी।

सिद्धार्थ 18/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकः–F.6()खा.वि. / कम्प्यूटर / PoS-Part-1/2018-19 जयपुर, दिनांकः 18 / 03 / 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पॉस मशीनों के साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन हेतु निर्देशित करे।
3. आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक / निजी सहायक माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, राजस्थान।
5. विशिष्ठ सहायक / निजी सहायक समस्त जिला प्रभारी मंत्री महोदय।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खा़द्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, समस्त जिला प्रभारी प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
12. प्रभारी अधिकारी (e-PDS), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
13. निजी सहायक, उपायुक्त एवं उपशासन सचिव(प्रथम / द्वितीय), खा़द्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
14. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
15. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.), खाद्य विभाग जयपुर।
16. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), खा़द्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव